बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। अधिसूचना ।।

दिनांक–........................

संख्या–09 / नि॰फ॰बी॰(को॰)–45 / 2025................... / सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या–4989 दिनांक–08.06.2018, द्वारा **"बिहार राज्य फसल सहायता योजना"** के लिए दी गई स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की दिनांक–12.12.2025 की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में रबी 2025–26 मौसम में योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता है :–

1.(क) आवेदन अवधि :– किसानों से ऑनलाइन आवेदन 01 जनवरी 2026 से प्राप्त किया जाएगा एवं फसलवार आवेदन करने की अंतिम तिथि निम्नरूपेण होगी :–

क्रम संख्या	अधिसूचित फसल	आवेदन की अंतिम तिथि
1.	गेहूँ	28.02.2026
2.	रबी मकई	28.02.2026
3.	चना	15.02.2026
4.	मसूर	15.02.2026
5.	रबी अरहर	31.03.2026
6.	राई–सरसों	31.01.2026
7	ईख	28.02.2026
8.	रबी प्याज	15.02.2026
9.	आलू	31.01.2026
10.	रबी टमाटर	28.02.2026
11.	रबी बैंगन	28.02.2026
12.	रबी मिरचाई	31.03.2026
13.	रबी गोभी	31.03.2026

(ख) <u>**आच्छादित फसल**</u> :– अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–1597 दिनांक–31.10.2025 द्वारा कृषि वर्ष 2025–26 के रबी मौसम के फसलों से संबंधित प्राप्त फसलवार एवं इकाईवार आयोजन सूची (परिशिष्ट–1) के अनुसार बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत **रबी 2025–26 मौसम** में **गेहूँ** फसल राज्य के सभी 38 जिलों में, **रबी मकई** फसल राज्य के 31 मकई आच्छादित जिलों एवं **ईख** फसल राज्य के 16 ईख आच्छादित जिलों में पंचायत स्तरीय फसल के रूप में तथा **चना** राज्य के 17 जिलों, **अरहर** राज्य के 15 जिलों, **राई–सरसों** राज्य के 37 जिलों, **मसूर** राज्य के 34 जिलों, **रबी प्याज** राज्य के 15 जिलों, **आलू** राज्य के 15 जिलों, **रबी टमाटर** राज्य के 10 जिलों, **रबी बैंगन** राज्य के 12 जिलों, **रबी मिरचाई** राज्य के 12 जिलों तथा **रबी गोभी** राज्य के 11 जिलों में जिला स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया जाता है। संबंधित जिला में अवस्थित नगर पंचायत एवं नगर परिषद् भी उक्त फसलों हेतु अधिसूचित रहेंगे।

(ग) आच्छादित किसान :–

(i) रैयत किसान :– ऐसे सभी किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती स्वयं करते हो।

(ii) गैर–रैयत किसान :– ऐसे सभी किसान जो दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करते हो।

(iii) रैयत एवं गैर रैयत किसान :– ऐसे किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती करने के साथ–साथ दूसरे रैयतों की भूमि पर भी खेती करते हैं।

(घ) किसानों का ऑन–लाइन आवेदन :–

(i) कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर निबंधित किसान इस योजना के अंतर्गत भी निबंधित माने जाएंगे एवं रबी 2025–26 मौसम में योजना का लाभ लेने हेतु उन्हें सिर्फ योजना के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अनिबंधित किसानों को आवेदन हेतु कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर निबंधन कराना आवश्यक है।

(ii) आवेदन हेतु किसानों को बुआई की गई फसल, बुआई क्षेत्र से संबंधित भूमि की विवरणी यथा–खाता संख्या, खेसरा संख्या एवं थाना संख्या तथा रकबा की जानकारी देना आवश्यक है।

(iii) आवेदन के समय किसानों को एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से आवेदित फसल एवं आवेदनकर्त्ता का जी0पी0एस0 आधारित 2–3 फोटोग्राफ अपलोड करना आवश्यक है, ताकि विसंगतियों की स्थिति में आवेदित क्षेत्र को स्पष्ट रूप से देखा जा सके तथा किसानों के दावों की जाँच की जा सके।

(iv) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेतु कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा संधारित एवं सत्यापित रैयत किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर–रैयत दोनो श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं।

(v) बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत आवेदन निम्न माध्यमों से किया जा सकता है :–

(a) Web Application for Farmers,
(b) Mobile Application for Farmers,
(c) Special Application Window :-
इस माध्यम के तहत वैसे किसान जो ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे प्रखण्ड स्तर पर पदस्थापित प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं कार्यपालक सहायक के सहयोग से योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

(vi) किसी आवेदक के द्वारा एक से अधिक फसल हेतु अथवा रैयत एवं गैर–रैयत दोनों वर्गों की भूमि होने की स्थिति में यदि आवेदन किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में एक से अधिक फसल के उत्पादन में ह्रास होने तथा गैर–रैयत/रैयत दोनों की सम्मिलित भूमि पर दी जाने वाली सहायता की अनुमान्यता एवं गणना के आलोक में इस योजना के तहत् आवेदित फसलों में से जिस फसल में उत्पादन का ह्रास ज्यादा प्रतिवेदित हुआ है, उस फसल के लाभ की गणना प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। इस योजना के लाभ हेतु अधिकतम दो हेक्टेयर की पात्रता के संदर्भ में यदि उक्त फसल में दो हेक्टेयर तक के ह्रास की प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो अधिकतम ह्रास वाली फसल के बाद उत्तरोत्तर ह्रास वाली फसल के रकबा को मिलाकर अधिकतम दो हेक्टेयर तक इस योजना का लाभ मान्य होगा।

(ड.) किसानों द्वारा योजना के पोर्टल पर दस्तावेजों को ऑन–लाईन अपलोड करना :– अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा अधिसूचित फसलों के उपज दर आंकड़ों के आधार पर योजना के मापदंडों के अनुसार योग्य ग्राम पंचायत के चयन के पश्चात् चयनित योग्य

ग्राम पंचायतें के आवेदक किसानों द्वारा निम्नरूपेण ऑन–लाईन दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा:–

(i) रैयत एवं आंशिक रूप से रैयत तथा गैर–रैयत दोनों श्रेणी के किसानों को आवेदक के नाम का हाल का बना भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र (दिनांक–31.03.2024 के बाद का निर्गत) अथवा अद्यतन राजस्व रसीद (दिनांक–31.03.2025 के पश्चात् का निर्गत) को अपलोड करना अनिवार्य होगा। रैयत श्रेणी के किसान द्वारा परिशिष्ट–2 एवं आंशिक रूप से रैयत एवं गैर–रैयत दोनों श्रेणी के किसान परिशिष्ट–3 के अनुसार स्वघोषणा–पत्र अपलोड करेंगे।

(ii) गैर–रैयत श्रेणी के किसानों को दूसरे की रैयती जमीन पर खेती करने संबंधी स्वघोषणा–पत्र, (परिशिष्ट–4 के अनुसार) जिसमें रकबा की विवरणी यथा–खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना संख्या सहित बुआई का रकबा एवं बुआई की गई फसल की विवरणी अंकित हो तथा उक्त स्वघोषणा–पत्र किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(iii) किसानों को व्यक्तिगत SMS/विज्ञापन/योजना के पोर्टल के माध्यम से सूचित करते हुए योजना से संबंधित दस्तावेज यथा अद्यतन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद इत्यादि अपलोड करने हेतु उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नं॰ पर एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv) किसान योजना के पोर्टल (ई–सहकारी) अथवा उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नं॰ पर प्रेषित लिंक के माध्यम से संबंधित दस्तावेज ऑन–लाइन अपलोड कर सकते हैं।

(v) वैसे किसान जो लिंक के माध्यम से योजना के पोर्टल पर अपना दस्तावेज अपलोड नहीं कर सकते है वे संबंधित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से सम्पर्क कर दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड कर पायेंगे।

2. योजना से संबंधित महत्वपूर्ण निदेश :–

(i) आवेदित फसल/बुआई क्षेत्र रकबा का सत्यापन :– आवेदन प्राप्ति के साथ ही आवेदित फसल एवं बुआई क्षेत्र रकबा का सत्यापन संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के निदेशन में प्रभारित क्षेत्रीय कर्मियों(किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक द्वारा किया जाएगा। आवेदित फसल/बुआई क्षेत्र रकबा का सत्यापन आनलाइन मोबाईल एप के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए अलग से निर्देश/SOP निर्गत किया जाएगा।

(ii) इन्डेमनिटी स्तर एवं थ्रेसहोल्ड उपज :–

बिहार राज्य में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के उत्पादन का कार्य राज्य के किसानों के लिए उच्च जोखिम का है, अतः किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना में 70% इन्डेमनिटी स्तर का प्रावधान किया गया है।

थ्रेशहोल्ड (Threshold) उपज पिछले 07 वर्षों की औसत उपज (राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आपदा वर्ष को छोड़कर) एवं इन्डेमनिटी स्तर से गुणा करने पर प्राप्त होगी।

थ्रेशहोल्ड (Threshold) उपज की गणना के प्रयोजनार्थ पूर्व वर्षों के उपज दर के आँकड़ों की अनुपलब्धता की स्थिति में उच्च स्तर के लिए निर्धारित उपज दर उक्त अधिसूचित क्षेत्र के लिए भी मान्य होगा।

सब्जी फसल जिनका योजना के प्रावधानानुसार थ्रेसहोल्ड उपज दर की गणना हेतु विगत 07 (सात) वर्षो का उपज दर आँकड़ा उपलब्ध नहीं है, का जबतक फसल कटनी प्रयोग के आधार पर विगत 07 (सात) वर्षों का उत्पादन दर उपलब्ध नहीं होता है, तबतक थ्रेसहोल्ड उपज

दर की गणना के प्रयोजनार्थ कृषि विभाग के द्वारा आदर्श परिस्थितियों में उपलब्ध कराये गए प्रति हेक्टेयर Optimum उपज दर प्रयुक्त किया जायेगा।

(iii) <u>आच्छादित/सहायता राशि की अधिसीमा</u> :–

(क) थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% तक ह्रास की स्थिति में 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 15,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है।

(ख) थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% से ज्यादा ह्रास की स्थिति में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 20,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है।

(iv) <u>कार्यान्वयन हेतु समय सीमा</u> :–

रबी 2025–26 मौसम के कार्यकलापों की समय–सीमा का सामान्यतः निम्न प्रकार से अनुपालन किया जाएगा :–

क्र॰सं॰	कार्यकलाप	निर्धारित की गयी तिथि
1.	पात्र किसानों का ऑन–लाइन आवेदन	01 जनवरी 2026 से फसलवार 31 मार्च 2026 तक (कंडिका–1.(क) के अनुसार)
2.	फसल कटनी प्रयोग के सम्पादन तथा इसके फलाफल के ऑन–लाइन पोर्टल में प्रविष्टि एवं योग्य ग्राम पंचायतों का चयन।	15 जुन 2026
3.	योग्य ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानो द्वारा दस्तावेजों का पोर्टल पर अपलोड करना एवं सत्यापन की कारवाई।	30 जुन 2026
4.	सत्यापन एवं सहायता राशि का भुगतान	31 जुलाई 2026 तक

(v) <u>फसल कटनी प्रयोग</u> :–

(क) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार के निदेशन एवं पर्यवेक्षण में पंचायत स्तरीय फसलों के लिए फसल कटनी प्रयोगों का सम्पादन एकांश श्रृंखला अन्तर्गत प्रति फसल प्रति पंचायत न्यूनतम 04 की संख्या में एवं जिला स्तरीय फसलों के लिए प्रति जिला न्यूनतम 24 की संख्या में किया जाएगा।

(ख) फसल कटनी प्रयोगों के फलाफल के आधार पर प्रति हेक्टेयर उपज दर निर्धारित होगी। यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र में फसल कटनी प्रयोग सम्पादित नहीं हो सका हो तो निकटवर्त्ती क्षेत्र अथवा उच्च स्तर पर निर्धारित उपज दर उक्त क्षेत्र हेतु भी मान्य होगी।

(ग) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार द्वारा योजनान्तगर्त अधिसूचित फसलों के लिए आवश्यकतानुसार फसलवार फसल कटनी प्रयोग हेतु फसलवार समय–सीमा का निर्धारण कराया जाएगा एवं तदनुसार क्षेत्रीय स्तर पर प्रयोगों को सुनिशिचित कराते हुए उपज दर आंकड़ों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(घ) फसल कटनी प्रयोगों का सम्पादन पूर्ण पारदर्शी तरीके से पूर्ण प्रचार–प्रसार करते हुए सुनिश्चित कराया जाएगा।

(ड़) फसल कटनी प्रयोगों के आधार पर उपज दर आंकड़ों को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार द्वारा API के माध्यम से साझा किया जाएगा।

(च) फसल कटनी प्रयोगों के ससमय सम्पादन हेतु किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक की सेवाएँ ली जा सकेगी।

(छ) फसल कटनी प्रयोगों के सम्पादन के समय संबंधित पंचायत के पैक्स के अध्यक्ष एवं संबंधित प्रखण्ड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी भी सह–प्रेक्षक (Co-observer) के रूप में उपस्थित रह सकेंगे।

(vi) कृषि विभाग द्वारा कतिपय पंचायतों में फसलों का Digital Crop Survey (DCS) कराया जा रहा है, परन्तु अभी यह सभी पंचायतों में क्रियान्वित नहीं है। अतः जिन पंचायतों का DCS हो रहा है उन पंचायतों के फसलवार आच्छादन क्षेत्र का सत्यापन DCS से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से कराया जाएगा। वैसे पंचायतों जहाँ DCS अभी क्रियान्वित नहीं है, के फसलवार आच्छादन क्षेत्र का सत्यापन कृषि विभाग के BIHAN App से प्राप्त आंकड़ों से कराया जाएगा।

(vii) <u>उपज दर में ह्रास तथा सहायता दर का मूल्यांकन</u> :–

(क) उपज दर में ह्रास का मूल्यांकन निर्धारित थ्रेशहोल्ड उपज की तुलना में वर्त्तमान मौसम में फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर निर्धारित वास्तविक उपज दर में हुए ह्रास के आधार पर किया जाएगा।

(ख) अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत आवेदक सभी किसानों के लिए उपज दर में ह्रास के अनुरूप सहायता दर का निर्धारण किया जाएगा।

(viii) <u>सहायता राशि की अनुमान्यता का निर्धारण</u>

(क) वास्तविक उपज में ह्रास की मात्रा (प्रतिशत में) निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी–

$$\frac{\text{थ्रेशहोल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेशहोल्ड उपज}} \times 100$$

(ख) वास्तविक उपज में ह्रास की मात्रा (प्रतिशत) के अनुसार सहायता राशि निर्धारित की जाएगी।

(ix) <u>सहायता राशि की स्वीकृति एवं भुगतान</u> :–

(क) ऑन–लाइन प्रविष्ट आँकड़ों का क्षेत्रीय सत्यापन जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी के माध्यम से पर्यवेक्षकों/पंचायत स्तरीय कर्मियों से कराया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक पंचायत का एक प्रभारी कर्मी नामित रहेगा। सत्यापन के फलाफल का पंचायत प्रभारी द्वारा ऑन–लाइन पोर्टल में प्रविष्ट करते हुए क्षेत्रीय सत्यापनकर्त्ता द्वारा आवेदक के साथ जी॰पी॰एस॰ आधारित 2–3 स्वच्छ फोटोग्राफ अपलोड किया जाएगा।

(ख) बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत रबी 2025–26 मौसम में जिन पंचायतों में उपजदर आंकड़ों के आधार पर Thershold उपज दर की तुलना में 30% से ज्यादा फसल क्षति प्रदर्शित हुई है, उन पंचायतों का Secondary Verification संबंधित प्रखंड से अन्य प्रखंड के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी से कराया जाएगा।

(ग) बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत सत्यापनोपरान्त लाभार्थी किसानों को सहायता राशि का भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से आधार लिंक खाता में किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक एडभाइस राज्य स्तर से ही निर्गत किया जाएगा। साथ ही, किसानों की सत्यापित एवं स्वीकृत/अस्वीकृत विवरणी को संबंधित प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग

समितियाँ द्वारा प्रति पंचायत कम से कम 01% एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा 0_% Random जाँच किया जाएगा।

3. **(क)** इस योजना के तहत् अनुमान्य सहायता राशि फसल कटनी प्रयोग के फलाफल पर आधारित फसल उत्पादन में हुए ह्रास के लिए प्रदान होनी है। फसल अवधि के दौरान हुए नुकसान अथवा सम्भावित नुकसान से फसल को बचाने हेतु आपदा प्रबंधन के तहत् संचालित कृषि इनपुट अनुदान योजना अथवा डीजल सब्सिडी योजना से यह योजना सम्बद्ध नहीं होगी तथा इस योजना का लाभ उक्त दोनों योजना के तहत् लाभान्वित किसानों को भी अनुमान्य होगा।

(ख) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा फसल कटनी प्रयोगों के सम्पादन का सही–सही प्रबंधन, तद्नुसार आँकड़ों की प्रविष्टि, वास्तविक उपज दर निर्धारण की शुद्धता सुनिश्चित करायी जाएगी।

(ग) जिलास्तरीय समन्वय समिति द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा के साथ–साथ फसल कटनी प्रयोगों के सम्पादन का सही–सही प्रबंधन, आँकड़ों की प्रविष्टियों की शुद्धता, उपज दर निर्धारण आदि की भी समीक्षा की जाएगी तथा अनापेक्षित फलाफल की स्थिति में यथा आवश्यक निर्देश दिया जा सकेगा।

(घ) इस योजना में सहायता राशि की अनुमान्यता अथवा भुगतान संबंधी विवादों के निपटारा हेतु जिला स्तर पर गठित जिलास्तरीय समन्वय समिति सक्षम होगी।

(ड.) योजना का प्रचार–प्रसार दैनिक समाचार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए, टेलीविजन के माध्यम से तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशाला एवं बैठक आयोजित कराते हुए व्यापक रूप से किया जाएगा। साथ ही, पंचायत स्तर पर पैक्सों के द्वारा बैठक/गोष्ठी आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा।

4. विभागीय संकल्प संख्या–4989 दिनांक–08.06.2018 की कंडिका–10 द्वारा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समन्वय समिति द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन का पूर्ण अनुश्रवण योजना के दिशा निदेश में अंकित प्रावधानों के आलोक में सुनिश्चित किया जाएगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी जो उक्त जिला स्तरीय समन्वय समिति के सदस्य सचिव हैं, के द्वारा जिला पदाधिकारी के निदेशन में योजना के दिशा–निदेश के अनुरूप यथा अपेक्षित सभी कार्रवाईयाँ ससमय क्रियान्वित कराया जाएगा।

5. विभाग द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकतानुसार दिशा–निदेश निर्गत किया जा सकेगा।

6. अधिसूचना में अवर्णित नियम एवं शर्तें (Term and Conditions) बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा परिचारित दिशा–निदेश के अनुसार किया जाएगा।

अधिसूचना में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

31.XII.24

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 12157 /पटना, दिनांकः– 31.12.2025

प्रतिलिपिः– उप सचिव (ई–गजट कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की सी॰डी॰ एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राज पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 20 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

31.XII.25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 12157 /पटना, दिनांकः– 31.12.2025

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰–सह–किसान प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.XII.25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 12157 /पटना, दिनांकः– 31.12.2025

प्रतिलिपिः– निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, आई॰एम॰डी॰, बिहार, पटना/निदेशक, बिहार रिमोट सेंसिंग केन्द्र, तारामंडल, पटना/निदेशक, बागवानी निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰/अध्यक्ष, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰–सह–किसान प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.XII.25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 12157 /पटना, दिनांकः– 31.12.2025

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली/विभागीय आई॰टी॰ मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं कार्यवाह सहायक को 20 (बीस) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

31.XII.25

सरकार के अपर सचिव।

(38)
01

परिशिष्ट–01

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

पत्रांकः–फ०बी०यो०–02–02/2015(खण्ड) 1597 /पटना, दिनांक 31/10/25

प्रेषक,

रणजीत कुमार भा०प्र०से०,
निदेशक,

सेवा में,

निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

04 NOV 2025

विषयः– **कृषि वर्ष 2025–26 के रब्बी मौसम का बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत फसलों की अधिसूचना हेतु आयोजन सूची का प्रेषण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कृषि वर्ष 2025–26 के रब्बी मौसम के फसलों की इकाईवार (जिला/पंचायत) अधिसूचना हेतु एकल श्रृंखला में फसल कटनी प्रयोग सम्पादनार्थ फसलवार आयोजित इकाईयों की आयोजन सूची (परिशिष्ट–1) आवश्यक कार्यार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक– परिशिष्ट–1

1. रब्बी गेहूँः– राज्य के सभी गेहूँ आच्छादित जिला के सभी आच्छादित ग्राम पंचायत में पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग का आयोजन।
2. रब्बी मकईः–31 जिलों में रब्बी मक्का से आच्छादित सभी पंचायतों में।
3. ईखः– 16 जिलों में रब्बी मक्का से आच्छादित सभी पंचायतों में।
4. चनाः– 17 जिला।
5. अरहरः–15 जिला।
6. राई–सरसोंः– 37 जिला।
7. मसूरः– 34 जिला।
8. प्याजः– 15 जिला।
9. आलूः– 15 जिला।
10. टमाटरः– 10 जिला।
11. बैंगनः– 12 जिला।
12. मिरचाईः– 12 जिला।
13. गोभीः– 11 जिला।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
27/10/25
निदेशक

Raju 646

परिशिष्ट–1

कृषि वर्ष 2025–26 के रब्बी मौसम का बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत फसलों की अधिसूचना हेतु फसलवार आयोजित जिलों की सूचीः–

1. **फसल का नाम–गेहूँ** आयोजित जिलों की संख्या–38
राज्य के सभी जिलों के गेहूँ से आच्छादित सभी पंचायतों में पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग का आयोजन।
यदि एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक पंचायत हो वैसी स्थिति में राजस्व ग्राम को आधार मानकर कटनी प्रयोग सम्पादित किया जायेगा, जिसका परिणाम उन पंचायतों के लिए मान्य होगा।

2. **फसल का नाम– रब्बी मकई (2025–26) का आयोजित जिलों की संख्या–31 (कृषि वर्ष 2024–25 के जिंसवार के आधार पर)**
पटना, नालंदा, गयाजी, जहानाबाद, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया किशनगंज, अररिया एवं कटिहार।
उपर्युक्त 31 जिलों में मक्का से आच्छादित सभी पंचायतों में।
यदि एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक पंचायत हो वैसी स्थिति में राजस्व ग्राम को आधार मानकर कटनी प्रयोग सम्पादित किया जायेगा, जिसका परिणाम उन पंचायतों के लिए मान्य होगा।

3. **फसल का नाम– फसल ईख (2025–26) का आयोजित जिलों की संख्या–16 (कृषि वर्ष 2024–25 के जिंसवार के आधार पर)**
लखीसराय, मधेपुरा, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, प० चम्पारण, बेगूसराय, खगड़िया, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी एवं बांका।
उपर्युक्त 16 जिलों में ईख से आच्छादित सभी पंचायतों में।
यदि एक राजस्व ग्राम में एक से अधिक पंचायत हो वैसी स्थिति में राजस्व ग्राम को आधार मानकर कटनी प्रयोग सम्पादित किया जायेगा, जिसका परिणाम उन पंचायतों के लिए मान्य होगा।

4. **फसल रब्बी अरहर (2025–26) का आयोजित जिलों की संख्या–15**
पटना, कैमूर(भभुआ), गयाजी, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, समस्तीपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, जमुई एवं बांका।

5. **फसल राई–सरसों (2025–26) का आयोजित जिलों की संख्या–37**
पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया किशनगंज एवं कटिहार।

6. **फसल मसूर (2025–26) का आयोजित जिलों की संख्या–34**
पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गयाजी, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया किशनगंज एवं कटिहार।

7. **फसल चना (2025–26) का आयोजित जिलों की संख्या–17**
पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, भागलपुर एवं बांका।

8. **फसल आलू (2025–26) का आयोजित जिलों की संख्या–15**
पटना, नालंदा, भोजपुर, गयाजी, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर एवं सुपौल।

9. **फसल रब्बी बैंगन (2025–26) का आयोजित जिलों की संख्या–12**
बेगूसराय, प० चम्पारण, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, गयाजी, वैशाली, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, अररिया एवं कटिहार।

10. **फसल रब्बी टमाटर (2025–26) का आयोजित जिलों की संख्या–10**
पटना, नालंदा, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, गयाजी, मुजफ्फरपुर, लखीसराय एवं बेगूसराय।

11. **फसल रब्बी प्याज (2025–26) का आयोजित जिलों की संख्या–15**
नालंदा प० चम्पारण, सिवान, सुपौल, शेखपुरा, पूर्वी चम्पारण, बक्सर, गयाजी, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, लखीसराय, पटना, किशनगंज एवं अररिया।

12. **फसल रब्बी मिरचाई (2025–26) का आयोजित जिलों की संख्या–12**
बेगूसराय, समस्तीपुर, सुपौल, नालंदा, लखीसराय, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गयाजी, पटना एवं अररिया।

13. **फसल रब्बी गोभी (2025–26) का आयोजित जिलों की संख्या–11**
समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, मधेपुरा, बांका, बेगूसराय एवं सिवान।

परिशिष्ट–2

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार
रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व–घोषणा प्रमाण पत्र
(केवल बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2025–26 हेतु मान्य)

मैं .... पिता/पति का नाम ....

वार्ड संख्या .... ग्राम ....

ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद ....

प्रखंड .... जिला .... घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने अपनी कृषि योग्य भूमि जिसका अद्यतन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद अपलोड किया है एवं रबी वर्ष 2026 में फसल/फसलों की बुआई की है। बुआई अन्तर्गत फसल की भूमि का रकबा निम्न है :–

क्रम सं.	फसल का नाम	बुआई का रकबा (डिसमिल में)	रकबा की विवरणी		
			खाता संख्या	खेसरा संख्या	थाना संख्या
1.	गेहूँ				
2.	मकई				
3.	ईख				
4.	चना				
5.	अरहर				
6.	राई–सरसों				
7.	मसूर				
8.	प्याज				
9.	आलू				
10.	टमाटर				
11.	बैंगन				
12.	मिरचाई				
13.	गोभी				
	कुल :				

नोटः– मात्र बुआई की गई फसल के संबंध में ही प्रपत्र में विवरणी अंकित की जाय।

यह भूमि ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद .... में अवस्थित है।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा सही है। साथ ही यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि अंकित सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरा/मेरी पात्रता रद्द की दी जाएगी।

दिनांक :–

हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार
रैयत एवं गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व–घोषणा प्रमाण पत्र
(केवल बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2025–26 हेतु मान्य)

मैं .... पिता/पति का नाम ....
वार्ड संख्या .... ग्राम ....
ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद ....
प्रखंड .... जिला .... घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने अपनी कृषि योग्य भूमि जिसका अद्यतन भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद अपलोड किया है साथ ही अन्य रैयत की कृषि योग्य भूमि पर रबी वर्ष 2026 में फसल/फसलों की बुआई की है। बुआई अन्तर्गत फसल की भूमि का रकबा निम्न है :–

क्रम सं.	फसल का नाम	बुआई का रकबा (डिसमिल में)	रकबा की विवरणी		
			खाता संख्या	खेसरा संख्या	थाना संख्या
1.	गेहूँ				
2.	मकई				
3.	ईख				
4.	चना				
5.	अरहर				
6.	राई–सरसों				
7.	मसूर				
8.	प्याज				
9.	आलू				
10.	टमाटर				
11.	बैंगन				
12.	मिरचाई				
13.	गोभी				
	कुल :				

नोटः– मात्र बुआई की गई फसल के संबंध में ही प्रपत्र में विवरणी अंकित की जाय।

यह भूमि ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद .... में अवस्थित है।
मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा सही है। साथ ही यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि अंकित सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरा/मेरी पात्रता रद्द की दी जाएगी।

दिनांक :–

हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

....

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य की अनुशंसा :–

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को मैं सत्यापित करता / करती हूँ

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य का नाम :–		
पद :–		
मोबाइल नम्बर :–		
आधार संख्या :–		हस्ताक्षर एवं मोहर

परिशिष्ट–4

सहकारिता विभाग, बिहार सरकार
गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्व–घोषणा प्रमाण पत्र
(केवल बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2025–26 हेतु मान्य)

मैं .... पिता/पति का नाम ....

वार्ड संख्या .... ग्राम ....

ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद ....

प्रखंड .... जिला .... घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने अन्य रैयत की कृषि योग्य भूमि पर रबी वर्ष 2026 में फसल/फसलों की बुआई की है। बुआई अन्तर्गत फसल की भूमि का रकबा निम्न है :–

क्रम सं॰	फसल का नाम	बुआई का रकबा (डिसमिल में)	रकबा की विवरणी		
			खाता संख्या	खेसरा संख्या	थाना संख्या
1.	गेहूँ				
2.	मकई				
3.	ईख				
4.	चना				
5.	अरहर				
6.	राई–सरसों				
7.	मसूर				
8.	प्याज				
9.	आलू				
10.	टमाटर				
11.	बैंगन				
12.	मिरचाई				
13.	गोभी				
	कुल :				

नोटः– मात्र बुआई की गई फसल के संबंध में ही प्रपत्र में विवरणी अंकित की जाय।

यह भूमि ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर परिषद .... में अवस्थित है।
मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा सही है। साथ ही यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि अंकित सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरा/मेरी पात्रता रद्द की दी जाएगी।

दिनांक :–

हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

....

किसान सलाहकार /वार्ड सदस्य की अनुशंसा :–

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को मैं सत्यापित करता / करती हूँ

किसान सलाहकार / वार्ड सदस्य का नाम :–		
पद :–		
मोबाइल नम्बर :–		
आधार संख्या :–		हस्ताक्षर एवं मोहर